राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर
(जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, 22 गोदाम, जयपुर)
टेलीफैक्स नं. 0141–2222403, 2229314 ईमेल–dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांक : PSKS/अभियान–21/डीएलबी/2021/13247-13459 दिनांक : 23/08/2021

समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद्/पालिकाएँ,
राजस्थान।

विषय – प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविरों में आवश्यक व्यवस्थाएँ किए जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य के नगरीय क्षेत्रों में दिनांक 02.10.2021 से 31.03.2022 तक "प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021" आरम्भ किया जा रहा है। उक्त अभियान के तहत निकाय स्तर पर दिनांक 15.09.2021 से 25.09.2021 तक Preparatory Camps का आयोजन किया जाना है। तत्पश्चात् दिनांक 01.04.2022 से अभियान के Follow up Camps का आयोजन किया जाना है।

अतः "प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021" के तहत आयोजित किये जाने वाले शिविरों के दौरान कृपया निम्नांकित व्यवस्थाएँ कराया जाना सुनिश्चित करावे :–

1. शिविर का आयोजन प्रातः 10:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक अथवा कार्य समाप्ति तक।
2. शिविर में बिजली, पानी एवं छाया की समुचित व्यवस्था।
3. शिविर में सभी विभागो के स्टाफ एवं आम नागरिकों के बैठने की समुचित व्यवस्था।
4. शिविर में आम जनता एवं प्रशासन के मध्य समन्वय हेतु माईक आदि की व्यवस्था।
5. सभी प्रकार के आवेदन पत्रों की व्यवस्था।
6. निकाय द्वारा सभी प्रकार के आवेदन पत्रों के साथ लिए जाने वाले शुल्कों के विवरण Display किए जाने की व्यवस्था।
7. अभियान के दौरान विभिन्न रंगों में पट्टा जारी किए जाने हेतु कलर प्रिन्टर की व्यवस्था (निकाय में उपलब्ध नहीं होने पर Outsources से व्यवस्था की जा सकती है।)
8. फोटोकॉपी मशीन की व्यवस्था।
9. E-Mitra, Nagar Mitra के लिए व्यवस्था।
10. जोनल–प्लान/Lay Out Plan/अनुमोदित कॉलोनियों की सूची के Display की समुचित व्यवस्था।
11. प्रकरणों के Online निस्तारण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएँ।
12. जनता की सुविधा के लिए वार्डवाइज या कुछ वार्डों को मिलाकर शिविर आयोजित किए जाने की व्यवस्था।
13. शिविर में राशि जमा करने हेतु व्यवस्था।
14. सड़क रिपेयर, लाईट, नालियों की मरम्मत आदि समस्या के मौके पर ही समाधान हेतु समुचित व्यवस्था।
15. Deed Writer, Stamp vendor, Notary, Oath Commissioner की व्यवस्था।

उपर्युक्त सभी व्यवस्थाएँ कोविड़ प्रोटोकॉल की पालना करते हुए की जावे।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एंव विशिष्ठ सचिव

क्रमांक : PSKS/अभियान–21/डीएलबी/2021/13460-13506 दिनांक : 23/08/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. विशेषाधिकारी, डॉ. गुरदयाल सिंह संधु, सलाहकार महो., नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर।
7. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
8. संयुक्त निदेशक, आईटी अनुभाग, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।
9. सुरक्षित पत्रावली।

(संजीव कुमार पाण्डेय)
अतिरिक्त निदेशक